समान काम-समान वेतन के लिए
राष्ट्रीय कन्वैंशन

इलैक्ट्रीसिटी इम्पलाईज फैडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित

मावलंकर हॉल, नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2017

प्रस्ताव

पूरे प्रदेश में बिजली उद्योग में काम करने वाले नियमित व ठेके पर लगे वर्कर व इंजीनियरों की 27 अप्रैल, 2017 को मावलंकर हॉल, नई दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय कन्वैंशन बिजली में उत्पादन, प्रसारण व वितरण की नियमित व निरंतर चलने वाले कार्यों में बड़े पैमाने पर ठेके, पार्ट टाईम व कैसुअल भर्ती के खिलाफ कड़ा विरोध प्रकट करती है। देश के लोगों को बिजली प्रदान करने के लिए राज्य व केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की भूमिका को याद करना प्रसांगिक होगा। ऊर्जा सार्वजनिक क्षेत्र प्राधिकरण का देश में हरित क्रांति लाने में अतुलनीय योगदान रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का अंधाधुंध निजीकरण और उन्हें तोड़ा जाना भाजपा-एनडीए द्वारा शासित केन्द्र व राज्यों की सरकारों के बड़े नैगम घरानों की बंधक होने का जीता जागता सबूत है।

सरकारी विभाग, निजी क्षेत्र उद्यम और निजी नियोक्ता बड़े उतावलेपन से ठेका मजदूरों को भर्ती करके (नियमन एवं उन्मूलन कानून-1970) का सरेआम उल्लंघन कर रहे हैं। यह कानून निरंतर प्रकृति के कार्यों में ठेके पर भर्ती को समाप्त करने व ठेका भर्ती के लिए पास किया गया था। लेकिन वास्तव में यह कानून ठेका भर्ती की समाप्ति न करके ठेके को काम का दायरा बढ़ाने व बड़े पैमाने पर ठेके पर मजदूर भर्ती करने के लिए नियोक्ताओं के हाथ में हथियार बन गया है। यह नोट करना बहुत गंभीर है कि लगभग सभी नियोक्ता उपरोक्त कानून की अनदेखी करते हैं, जिसमें केन्द्र व राज्य सरकारों के श्रम विभागों की सीमाहीन मिलीभगत है। यहां तक कि वे कानून के तहत अपनी संस्थाओं को सरकार की उपयुक्त प्राधिकरण से पंजीकरण भी करवाना जरूरी नहीं समझते और न ही कानून अनुसार लाइसेंस लेते हैं। वो निरंतर चलने वाले कार्यों के लिए भी ठेके पर भर्ती करना अपना वर्गीय अधिकार समझते हैं।

समान काम के लिए समान वेतन पर बिजली श्रमिकों की यह कन्वैंशन नोट करती है कि सभी विधानों (कानूनों) का उल्लंघन करते हुए वर्करों को 8 घंटे से ज्यादा कार्य करने पर मजबूर किया जा रहा है। वे नियमित कर्मियों की प्रकृति वाले ही कार्य करते हैं, परंतु वेतन, महंगाई व अन्य कई तरह के भत्ते व सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं दिए जाते।

ठेका श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) कानून के केन्द्रीय नियमों की धारा 25 (V) (A) के प्रावधान के अनुसार 'उन मामलों में जहां पर ठेकेदार द्वारा लगाए गए श्रमिक संस्थान के मुख्य नियोक्ता द्वारा लगाए गए श्रमिकों के समान अथवा उसी प्रकृति का कार्य करते हैं, उन्हें वेतन सहित छुट्टियां, काम के घंटे व अन्य सेवा शर्तें मुख्य नियोक्ता द्वारा लगाए गए वैसा ही काम करने वाले श्रमिकों के समान मिलेंगे। सरकार के सहयोग से विधान (कानूनों) के इस प्रावधान की पूर्ण रूप से उल्लंघना की जाती है।

सिविल अपील नं. 2585 (2006) बारे एक सितम्बर, 2011 को आदेश देते हुए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीशों श्री मारकंडे काटजू व चन्द्रमोली कुमार प्रसाद ने देश के श्रम सम्बंधों के क्षेत्र में चल रही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पर बहुत ही व्यंग्यात्मक टिप्पणी की है। इस फैसले में यह पूर्णतय स्पष्ट है कि ठेका मजदूरों की जिम्मेदारी मुख्य तौर पर प्रमुख

नियोक्ता की है। फैसले का एक हिस्सा नीचे दिया जा रहा है।

'श्रम विधानों (कानूनों) के तहत अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए नियोक्ता आम तौर पर यह बहाना बनाते हैं कि उनके यहां काम कर रहे कर्मचारी वास्तव में ठेकेदार के कर्मचारी / मजदूर हैं। अब उपयुक्त समय है, यह बहाना समाप्त किया जाए।

श्रम विधान (कानून) कर्मचारी / वर्कमैन को बचाने के लिए बनाए गए थे, क्योंकि यह महसूस किया गया है कि नियोक्ता और कर्मचारी सौदेबाजी के लिए समान स्थिति में नहीं हैं। इसलिए कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता महसूस हुई, ताकि उनका शोषण न हो।

हाल ही के वर्षों में कर्मचारियों को यह कहकर उनके कानून अधिकारों से वंचित किया जाता है कि वे उनके कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि ठेकेदारों के कर्मचारी हैं, या फिर ये कहा जाता है कि वे दिहाड़ी मजदूर या अल्पकालीन या कच्चे कर्मचारी हैं, जबकि वे नियमित कर्मचारियों का काम ही कर रहे हैं। यह न्यायालय ऐसी प्रथाओं को मान्यता नहीं दे सकती। विकास के नाम पर वैश्वीकरण / उदारीकरण मजदूरों के शोषण की कीमत पर नहीं किया जा सकता।

बिजली का ऑपरेशन और मेंटीनेंस क्षेत्र आजकल ठेका मजदूरों पर आधारित है। नव उदारवादी आर्थिक नीतियों के चलते पिछले 20 वर्षों में ठेका प्रथा अपनी सबसे खराब स्थिति में पहुंच गई है। आजकल तो मुख्य ऑपरेशन, उच्च कुशलता और भारी खतरे से भरे काम भी ठेका मजदूरों को करने पड़ते हैं, जिन्हें न कोई प्रशिक्षण और न ही कोई सुरक्षा के संसाधन उपलब्ध हैं। इसका एक परिणाम है कि अनगिनत जानों की हानि हुई है। संचालन और वितरण क्षेत्र में ठेका मजदूरों की भर्ती की प्रणाली बहुत ही खराब है। बिजली उत्पादनों के प्रबंधकों की शय पर गैर कानूनी तौर पर लगाए हुए ठेकेदारों की वजह से मजदूर अपने जायज अधिकारों और सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं।

कुछ क्षेत्रों में मजदूरी की कोई विशिष्ट दर तय नहीं है। अतः लोग अपने आप ही कार्य कर रहे हैं। जिस क्षेत्र या घरों में वे कार्य करते हैं, उन्हीं लोगों द्वारा उनको कुछ बंधे हुए पैसे दे दिए जाते हैं, क्योंकि विभाग की तरफ से ऐसे कार्यों के लिए सिस्टम को बंद नहीं किया जाता और सर्किट खुली रहने से बहुत सी दुर्घटनाएं होती हैं व श्रमिकों की मृत्यु हो जाती है। उनका कोई चिन्हित नियोक्ता भी नहीं होता। मृत मजदूरों के परिवारों को इम्पलाईज कंपनशेसन एक्ट के तहत मुआवजा भी नहीं मिलता। यह कन्वैंशन गहरी चिंता के साथ इस बात को अंकित करती है कि बिजली सुविधाओं के कर्मचारी व मजदूर गंभीर रूप से पीड़ित और उत्तेजित हैं। यह स्थिति नव उदारवादी हमलों के परिणाम अनुसार अधिकारों और तनख्वाओं पर हर तरफ हो रहे हमलों की वजह से है। भारत नेशनल ग्रिड से हर कोने से जुड़ा है। उत्तर-पूर्वी भारत में उत्पादित बिजली दिल्ली या केरल तक लाई जाती है, परंतु मजदूरों की कार्यप्रणाली में कोई समानता नहीं है।

नेशनल कोर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलैक्ट्रीसिटी इम्पलाईज एण्ड इंजीनियर्स (एनसीसीओईईई) के राष्ट्रीय अध्याय ने, जोकि बिजली मजदूरों, कर्मचारियों और इंजीनियरों का एक व्यापक मंच है, ने अपनी 3 फरवरी को दिल्ली में हुई बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में मजदूरों और कर्मचारियों पर हो रहे हमलों से लड़ने के लिए एक व्यापक और लम्बे स्वाबलंबी आंदोलन का निर्णय लिया। आज की कन्वैंशन नेशनल कोर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलैक्ट्रीसिटी इम्पलाईज एण्ड इंजीनियर्स को पूरा समर्थन और सहयोग देती है।

आज की तारीख में इस क्षेत्र में 70 प्रतिशत मजदूर ठेकाकरण के शिकार हैं। नियमित कार्यों के लिए नियमित कर्मचारियों और एक जैसी नौकरी के लिए वेतन और लाभ के प्रावधानों का बुरी तरह से उल्लंघन किया जा रहा है। इस संबंध

में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से ठेका मजदूरों में आशा जगी है।

सिविल अपील नंबर 213/2013 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश जगजीत सिंह खैर एवं न्यायधीश एस.ए. बोबड़े द्वारा 26 अक्तूबर, 2016 को पारित फैसले में निर्देशित किया है कि वर्तमान केसों से संबंधित सभी अनियमित कर्मचारी उसी पद पर कार्य कर रहे नियमित कर्मचारियों के समान वेतन लेने के अधिकारी हैं। (नियमित पे स्केल में सबसे नीचे वाला ग्रेड) इस फैसले के पीछे के तर्क को जोर देते हुए एक हिस्से को नीचे लिखा गया है :

'इसमें कोई शक नहीं है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का नियम संविधान के विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या से उभरा है। इस नियम की इस न्यायालय के बहुत फैसलों द्वारा हुई व्याख्या और इस न्यायालय द्वारा कानून घोषित हो गया है।'

भारतीय संविधान की धारा 141 के तहत यह भारत के सभी न्यायालयों पर लागू है। नियमों के मापदंड पैराग्राफ 42 में दिए गए हैं। समान काम के लिए समान वेतन का नियम का दायरा अब अनियमित कर्मियों पर भी बढ़ा दिया गया है (जैसे वर्कचार्ज, दैनिक वेतनभोगी, कैजुअल, ठेकाकर्मी, एडहोक आदि) हमारे द्वारा पैरा 44 में अनियमित कर्मचारियों की कानूनी स्थिति का सारांश दिया गया है। उपरलिखित कानूनी स्थिति जोकि बार-बार घोषित की गई है, उस पर हम दोबारा जोर दे रहे हैं। यह हमारा सुविचारित मत है कि मजदूरों के हकों को छीनने के लिए नकली मापदंड निर्धारित करना दोषपूर्ण है। एक कल्याणकारी राज्य में एक कर्मचारी को दूसरे कर्मचारी से कम वेतन नहीं दिया जा सकता, जिसकी ड्यूटी और जिम्मेदारी एक जैसी है। ऐसा करना उस कर्मचारी को नीचा दिखाने के साथ-साथ उसकी मानव गरिमा को भी ठेस पहुंचाना है। किसी को भी कम वेतन पर कार्य करने पर मजबूर करना उसकी इच्छा से किया जाना नहीं कह सकते (स्वैच्छिक नहीं होता)। वह अपनी सत्यनिष्ठा, आत्म मूल्य, आत्म सम्मान व गरिमा की कीमत पर अपने परिवार को पालने के लिए ऐसा करता है, वह यह जानता है कि यदि उसने कम वेतन पर कार्य नहीं किया तो, उसका परिवार बुरी तरीके से प्रभावित होगा। समान कार्य के लिए कम वेतन देना शोषणकारी बंधुआगिरी पैदा करता है। ऐसा करना निश्चित तौर पर उत्पीड़नकारी, दमनात्मक व जबरदस्ती है और यह गुलामी को जन्म देता है।

यह कन्वैंशन गहरे विरोध के साथ नोट करती है कि सरकार ऐसे मामलों में स्पष्ट रूप से चुप रहती है व मजदूर विरोधी और गैर कानूनी प्रथाओं को जारी रखने की आज्ञा देती है। ऊपर कथनानुसार यह कन्वैंशन इन कपटपूर्ण व गैर कानूनी कार्यों के लिए एक स्वर में निंदा करती है व मांग करती है।

1. नियमित व निरंतर प्रकृति के कार्यों में श्रमिकों को ठेके पर भर्ती करने की व्यवस्था को समाप्त किया जाए और पहले से ठेके पर लगे कर्मियों को पक्का किया जाए, तब तक अंतरिम कदम के तौर पर समान काम के लिए समान वेतन के कानून को सख्ती से लागू किया जाए।
2. ठेका कर्मियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 87 व 98 कन्वैंशन की घोषणाओं को पूर्ण रूप से लागू किया जाए।
3. ठेका कर्मियों को वैधानिक रूप से जो भी लाभ दिए जाते हैं, मुख्य नियोक्ता उन्हें लागू करवाना सुनिश्चित करे। कन्वैंशन समान काम के लिए समान वेतन की गारंटी की मांग करती है।
4. विधायी (कानूनी) प्रावधान अनुसार ठेका कर्मियों के काम के घंटे सुनिश्चित किए जाएं।

5. मुख्य नियोक्ता किसी भी उद्यम / संस्था में लगे ठेका कर्मियों के औद्योगिक विवाद अधिनियम-1947 के तहत उठे विवादों को हल करने की प्राथमिक जिम्मेदारी ले। नियमित कर्मियों की तरह ठेका कर्मियों को भी पीएफ, ईएसआई व अन्य सामाजिक सुरक्षा स्कीमों का लाभ पंजीकरण के दिन से ही लागू किया जाए।

यह कन्वैंशन मांग करती है कि वर्तमान समय में लगे सभी ठेका कर्मियों का समायोजन करते हुए ठेका प्रथा को समाप्त करने की समय सीमा निश्चित की जाए। बिजली संविधान की समवर्ती सूची में आती है। अतः यह कन्वैंशन भारत सरकार से आग्रह करती है कि सम्बंधित राज्य सरकारों से सलाह करके देशभर में बिजली उद्योग के लिए निम्नलिखित कदम उठाएं :-

- सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लागू करते हुए सभी नियमित व निरंतर प्रकृति के कार्यों में ठेका का कार्य बंद किया जाए।
- ठेका कर्मियों के नियमितिकरण तक एक ही उद्यम / संस्था में काम करने वाले ठेका कर्मियों को नियमित कर्मियों के समान वेतन व लाभ अदायगियों को सुनिश्चित किया जाए।
- भविष्य निधि व बोनस पर लगी सीमा को हटाया जाए।
- ग्रेच्यूटी की मात्रा को बढ़ाते हुए सभी को पैंशन देना सुनिश्चित किया जाए।
- सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का विनिवेश बंद किया जाए व रेलवे / बीमा व प्रतिरक्षा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बंद किया जाए।
- राष्ट्रीय संपदा व संसाधनों का निजी हाथों में हस्तांतरण बंद किया जाए।
- मजदूर विरोधी श्रम कानूनों में संशोधन पर रोक लगाई जाए।
- सभी को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराई जाए।
- न्यूनतम वेतन कानून में संशोधन करके सभी के लिए वैधानिक तौर पर कम से कम 18000 रुपए न्यूनतम वेतन तय किया जाए और उसे महंगाई सूचकांक से जोड़ा जाए।

यह कन्वैंशन पुरजोर घोषणा करती है कि यदि भारत सरकार सम्बंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर ऊर्जा उद्योग में अंधाधुंध ठेकाकरण की शोषणकारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत नहीं करती है, तो उद्योग में शांति व भाईचारा बिगड़ने के लिए मजदूर व कर्मचारी जिम्मेदार नहीं होंगे।

मजदूर व कर्मचारियों की एकता जिन्दाबाद !

सभी के लिए वहनीय दरों पर बिजली उपलब्ध हो !

राष्ट्रीय ऊर्जा संसाधनों की लूट बंद करो !

इलैक्ट्रीसिटी इम्पलाईज फैडरेशन ऑफ इंडिया